REGD. NO. D. L.-33004/99



रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

HRCE का राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं.
 520]
 नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2011/भाद्र 30, 1933

 No.
 520]
 NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2011/BHADRA 30, 1933

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 704(अ).—केन्द्रीय सरकार, कलकत्ता मैट्रो रेल (परिचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबंध अधिनियम, 1985 (1985 का 10) की धारा 18 के साथ पठित रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलकत्ता मैट्रो रेल साधारण नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलकत्ता मैट्रो रेल साधारण (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. कलकत्ता मैट्रो रेल साधारण नियम 2000 के नियम 7.19 में, उप-नियम (1) में, "दिन में एक मिनट और रात्रि में दो मिनट" शब्दों के स्थान पर, "दिन और रात में एक मिनट तथा जब दृश्यता घने कोहरे या धूल या किसी अन्य प्रकार के खराब मौसम के कारण बाधित हो, तो दो मिनट" रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2007/सेफ्टी (ए एंड आर)/19/5]

विनय मित्तल, सदस्य, यातायात के रूप में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और पदेन सचिव

टिण्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 682(अ), तारीख 28 अगस्त, 2000 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात्, निम्नलिखित संख्यांक द्वारा संशोधित किए गए थे :---

(1) सा.का.नि. 979 (अ), तारीख 15 दिसम्बर, 2010 3503 GI/2011 (1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2011

G.S.R. 704(E).—In exercise of the powers conferred by Section 60 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) read with Section 18 of the Calcutta Metro Railway (Operation and Maintenance) Temporary Provisions Act, 1985 (10 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Calcutta Metro Railway General Rules, 2000, namely :—

1. Short title and commencement.--(1) These rules may be called the Calcutta Metro Railway General (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Calcutta Metro Railway General Rules, 2009, in rule 7.19, in sub-rule (1), for the words "one minute by day and two minutes by night", the words "one minute by day as well as by night and two minutes when visibility is impaired due to thick foggy or dusty or any other type of bad weather" shall be substituted.

[No. 2007/Safety (A&R)/19/5]

VINAY MITTAL, Chairman, Railway Board as Member Traffic, and ex-officio Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 682(E), dated the 28th August, 2000 and subsequently amended vide number :---

(1) G.S.R. 979(E), dated the 15th December, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.